संख्या- 27/02/2012-एस.आर.एस
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 22 जून, 2012

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अनुसूचित जाति के कार्मिक सर्वश्री शिवधनी, त्रिभुवन नाथ एवं कमल कुमार सोनकर, का राज्य पुनरावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा 09.02.2012 को आयोजित बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अनुसूचित जाति के कार्मिक सर्वश्री शिवधनी, सहायक जिल्दसाज, त्रिभुवन नाथ, एडीटर-सह-की बोर्ड आपरेटर एवं कमल कुमार सोनकर, सहायक बाइंडर के अनुसूचित जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु दिये गये प्रत्यावेदनों पर अनुसूचित जाति/जनजाति कार्मिकों के आवंटन संबंधित दिशानिदेश दिनांक 24.06.2010 के अनुसार विचार किया गया । समिति द्वारा प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनॉक 24-06-2010 के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों कार्मिकों को पात्र मानते हुये उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार सर्वश्री शिवधनी, सहायक जिल्दसाज, त्रिभुवन नाथ, एडीटर-सह-की बोर्ड आपरेटर एवं कमल कुमार सोनकर, सहायक बाइंडर को दिनांक 24.06.2010 के आदेशानुसार उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश पुनरावंटन की जाती है । संबंधित कार्मिकों से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाये ।

भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, लखनऊ ।
2. अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार), उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, सचिवालय, देहरादून।

Dept. of Personnel & Trg.
Receipt & Issued Section
22 JUN 2012
जारी किया/ISSUED